न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं0 13 / 2021–22

क्रं0 सं0	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
1 22/11/22	अधियाची पदाधिकारी, शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया **भागीडेरा** शाखा के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री / श्रीमति **सुधीर कुमार साहु, पिता बहादुर साहु, ग्राम बरई बजार टोली, थाना बसिया** जिला गुमला के विरूद्ध देनदार दिखाते हुए **मों0 598384:00** रूपये बकाय दर्शाया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार श्री **सुधीर कुमार साहु, पिता बहादुर साहु, ग्राम बरई बजार टोली, थाना बसिया** जिला गुमला अपने अधिवक्ता एवं स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए। देनदार के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया **भागीडेरा** से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। शाखा बैंक ऑफ इंडिया **भागीडेरा** के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है। अतः बैंक ऑफ इंडिया **भागीडेरा** से निर्गत पत्र के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरूद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित। (कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला) — मुहर) अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.09.11 12:46:34 +05:30
Location: 192.168.1.4